

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 206/2022 (नि.पं.)  
पंजीयन दिनांक 06.12.2022  
G.C.M.S. NO. :- 2022/206

ग्राम पंचायत लेसवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर,  
तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-निगराकार

बनाम

रतनदास पिता उंकारदास बैरागी उम्र वयस्क, निवासी पारलिया, तहसील भदेसर,  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 30  
दिनांक 07.09.2018 ग्राम पंचायत लेसवा

उपस्थिति : 1-श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता निगराकार  
2-श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता गैर निगराकार



## निर्णय

दिनांक 05.07.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी किया गया आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 07.09.2018 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत तथा अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 07.09.2018 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकार को सूचना पत्र जारी किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक/SPL/22-23 दिनांक 20.07.2023 से पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। गैर निगराकार की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि गैर निगराकार ने गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत करके अपने नाम पट्टा जारी करवाया है क्योंकि गैर निगराकार ने जिस भूमि के संबंध में आवेदन किया उसे अपनी पुश्तैनी भूमि बताकर आवेदन किया और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया वास्तविकता में उक्त भूमि देवस्थान विभाग की भूमि है जिस पर गैर निगराकार ने अपना पट्टा जारी करवा लिया। उक्त भूमि वर्तमान में भी राजस्व रेकार्ड में श्रीचारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर सम्पूर्ण ग्रामवासियान एवं चारभुजाजी के दर्शनार्थ आने वाले दर्शनार्थियों के भोजन बनाने, भजन संध्या एवं रात्रि जागरण सहित अन्य विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भूमि काम मे लेते चले आ रहे हैं। गैर निगराकार द्वारा गलत शपथ-पत्र के आधार पर तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा भी उक्त भूमि के संबंध में सही स्थिति की जांच नहीं की गई और उक्त भूमि देवस्थान विभाग चारभुजाजी नाथ देह स्थान खातेदार के नाम पर होते हुए भी गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो विधि-विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा पट्टा संख्या 30 साईज 45 बाई 55 कुलिया 2475 वर्गफीट भूमि का



ग्राम पंचायत लेसवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर बनाम रतनदास पिता उंकारदास बैरागी निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी कर दिया जबकि मौके पर गैर निगराकार का किसी भी प्रकार से पूर्व में कोई कब्जा नहीं था और ना ही किसी प्रकार का निर्माण था फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 07.09.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 07.09.2018 जारी किया जो पूर्णतया विधि-सम्मत होकर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा सभी कागजात की पूर्ति करने के बाद ही गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो सही होकर पट्टे का पंजीयन कराया है। निगराकार ने सारे तथ्य गलत अंकित कर यह निगरानी पेश की है। गैर निगराकार को जो पट्टा जारी किया है वह पंचायत अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना करने के बाद ही जारी किया गया है। जिससे निगरानी निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा उक्त पट्टा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.08.2018 की अनुपालना में दिनांक 07.09.2018 को बुक संख्या 34 से जारी किया गया है जो सही है तथा आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी सारहीन होने से मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है जो कि इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई और राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है। अतः तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत, लेसवा द्वारा मात्र खाना-पूर्ति करते हुए नियमों की अनदेखी कर उक्त पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।



ग्राम पंचायत लेसवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति भदेसर बनाम रतनदास पिता उंकारदास बैरागी निवासी पारलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता गैर निगराकार ने विवादित पट्टे वाले भूखण्ड पर गैर निगराकार का 50 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने संबंधी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका विवादित भूखण्ड पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा होने की पुष्टि होती हो।

अधिवक्ता निगराकार द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात के अन्तर्गत पटवारी हल्का लेसवा के मौका पर्चा दिनांक 13.02.2024 का अवलोकन किया जिसके अनुसार “ग्राम पारलिया की आराजी नम्बर 310 रकबा 0.28 है. भूमि जो कि चारभुजाजी स्थान के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी सीमा जानकारी की गई, मौके पर उक्त आराजी की पश्चिम दिशा में आबादी के नजदीक रतनदास पिता उंकारदास जाति बैरागी निवासी पारलिया ने पक्के मकान का निर्माण कर रखा है उक्त आधा मकान आराजी नम्बर 310 रकबा 0.28 है. में निर्मित है जो कि चारभुजाजी का स्थान नाम से दर्ज रेकार्ड है जो कि देवस्थान विभाग की जमीन है।” अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा विवादित पट्टा देवस्थान विभाग की भूमि में जारी किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है जबकि ग्राम पंचायत को भूमि आबादी में दर्ज होने पर ही पंचायतीराज नियमों/उपनियमों के तहत नियमानुसार भूखण्ड निलाम/आवन्टन करने व पट्टे जारी करने के अधिकार प्रदत्त है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत लेसवा द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, बिना पत्रावली कायम किए, पंचायती राज नियमों की पालना किए बगैर देवस्थान विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड भूमि में गैर निगराकार को पट्टा जारी किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लेसवा, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 30 दिनांक 07.09.2018 निरस्त किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।’

(राकेश कुमार)

